राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मालीराम बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	48/2016	
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। छोटू मीणा के दो लडके थे, स्वरूप एवं छीतर, जिसमे स्वरूप के दो लडके मालीराम एवं मनोज तथा छीतर के दो लडके रामू व भंवर है। एक भूमि तो दोनों के नाम दर्ज की गयी परन्तु अन्य भूमि अपीलार्थी के पिता स्वरूप के नाम दर्ज नही की गयी। समस्त प्रकरण अपीलार्थी की जानकारी में आने पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि स्वरूप मीणा, रामचन्द्र मीणा के गोद चला गया एवं रामचन्द्र मीणा की समस्त सम्पत्ति के स्वरूप मीणा अधिकारी हो जाने के कारण अपीलार्थी के पिता स्वरूप मीणा के नाम भूमि दर्ज नही की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने दस्तावेज एवं गवाह पेश किये गये। रामचन्द्र की मृत्यु पर समस्त सम्पत्ति रामचन्द्र की पत्नी के नाम दर्ज की गयी है, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात में तनकी संख्या 1 का रामचन्द्र गोद नही गये के आधार पर गलत निर्णय पारित किया गया है, जबकि यह बिन्दु प्रतिवादी द्वारा साबित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 6 का विपरित निर्णय पारित किया गया है, क्योकि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी पेश किया है, जिसके द्वारा रामचन्द्र की पत्नी के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 6 के आधार पर अपीलार्थी का वाद ख़ारिज किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। कानूनन किसी व्यक्ति को गोद लेना व उक्त तथ्य को स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने विवादग्रस्त भूमि छोटू की भूमि होना साबित किया है एवं अपीलार्थी छोटू के वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के विरुद्ध रेस्पो. द्वारा काउन्टर क्लेम या अन्य कोई दावा पेश नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही निर्णय व डिक्री दिनांक 19/01/2016 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मालीराम बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद दोनों पक्षों के पिता द्वारा गोद जाने या नही जाने के सम्बन्ध में पेश किया गया है | छोटू मीणा की मृत्यु पर सम्पूर्ण भूमि छीतर के नाम दर्ज की गयी है, जिस पर रामस्वरूप ने अपने जीवनकाल में कभी भी कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गयी है | विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में तीसरी पीढ़ी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री पारित किया गया है | अपीलार्थी के पिता स्वरूप मीणा के गोद की प्रक्रियां जयपुर में की गयी है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहों ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के पिता गोद गये है | विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा है | अपीलार्थी के पिता के गोद चले जाने के कारण अपीलार्थी के पिता का विवादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार नही है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा बिजली विभाग का लिखा गया पत्र पेश किया, जिस पर गोद अंकित लिखा गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जागा का पत्र में सम्वत 2001 में गोद जाना बताया गया है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मालीराम ने अपनी जिरह में कथन किया कि बिजली बिल में अपीलार्थी के पिता का नाम अंकित है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दर्ज करवाये गये बयानों में पूर्व में विवादग्रस्त भूमि पर बहनों का कब्जा बताया गया, किन्तु बाद में अपीलार्थी द्वारा मना कर दिया गया | जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट नम्बर 44 स्वरूप पुत्र रामचन्द्र को दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्वरूप मीणा रामचन्द्र के गोद गया है | स्वरूप की पत्नी की मृत्यु के पश्चात भूमि किसके नाम दर्ज की गयी है, अपीलार्थी स्पष्ट नही कर पाया है | कुछ जमीन अपीलार्थी के नाम दर्ज होने पर रेस्पो. द्वारा खसरा नम्बर 554 को चुनौती दी गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाया जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में कायम की गयी तनकीयात को सरसरी तौर पर तय करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे तनकीयात को तय करते वक्त पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत, दस्तावेजात का सम्बन्धित तनकी के सन्दर्भ में विस्तृत परिक्षण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मालीराम बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर विवेचन उपरान्त उस तनकी को तय करते किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही तनकीयात का निष्कर्ष निकालते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित की गयी है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/01/2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत, दस्तावेजात का परिक्षण कर कायम की गयी तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर